

Sl No. 228

RTI MATTER /BY SPEED POST

F.No.36/04/2011-R&SO
Government of India
Ministry of Home Affairs
(FFR Division)

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated 10.05.2013

To

Shri Mukhtiyar Singh Sufi,
WZ-168, Khampur,
West Patel Nagar,
New Delhi-110008.

Sub:- Application under RTI Act., 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 22.03.2013 received in this Division on 12.04.2013 through RTI Section of this Ministry on the above subject. The pointwise information is given as under:-

With regard to Point No.3, this is to state that as per the Annual Report of the then Ministry of Rehabilitation for the year 1955-56, 84.05 lakhs displaced persons had come to India. Out of this, 47.20 lakhs were from West Pakistan and 36.85 lakhs from East Pakistan. Regarding the number of Muslims who went to Pakistan and came back to India, the information are not available in the record.

As regards Point No.4, the displaced persons who had come from the then West Pakistan were rehabilitated in different states of the country by providing compensation in the form of land/cash in lieu of the property left behind in West Pakistan in terms of the provisions of Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 and the rules made thereunder.

As regards Point Nos .5 & 6, the information are not available in the record.

As regards Point No.7, the files pertaining to the matter being very old are not traceable. However, in Annual Report of the then Ministry of

- Rehabilitation for the year 1955-56, some overall statistical data available is enclosed herewith.

As regards Point No.8, the information is not available in the Ministry's record.

As regards Point Nos. 9, 10, 11 & 14, a copy of your application is being sent to IS Division of this Ministry for providing the required information.

You may approach J & K Division of this Ministry for obtaining the required information in respect of Point Nos 12 & 13.

Regarding Point Nos 15 & 16, No information has been maintained in this Ministry, you may approach the concerned State Government in this regard.

As regards Point No.17, a copy of your application is being sent to Foreigners Division of this Ministry for providing the required information.

If you are not satisfied with this reply, you may prefer to file an appeal before the 1st Appellate Authority as detailed below:-

“Joint Secretary (FFR), Ministry of Home Affairs,
2nd Floor, NDCC-II Bldg., Jai Singh Road, New Delhi.”

Handwritten version will follow -

Yours faithfully,

[Signature]
(R.C.Nayak)

Director/CPIO

alongwith a copy of RTI application

Copy forwarded for necessary action to the following :-

- ✓ 1. Director/CPIO (IS-I), M.H.A., North Block, New Delhi for giving reply to the applicant in respect of point Nos.9, 10, 11 & 14.
2. Director/CPIO, J&K Division for giving reply to the applicant in respect of point Nos.12 & 13.


...3/-

*On file
13/11/13
US/IS-II*

*RTI-298/Dir (IS-I)/13
13/11/13*

*Recd. on
13/11/13
8011
13/11/13
PA to Dir (IS-I)*

3. Director/CPIO, Foreigners Division, M.H.A., NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi for giving reply to the applicant in r/o Point No. 17.



(R.C.Nayak)

Director/CPIO

दिनांक 22/3/2013

R.T.I - No - 3102322

उत्तर प्रदेश

जन सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय भारत
खारवार नई दिल्ली

2030187/2013
अपील

40

कम - R.T.I एक्ट 2005 के तहत

प्रश्न श्रीमान जी विनम्र विवेदन महर्षि, कि R.T.I एक्ट 2005 के तहत मुझे निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण तथ्यों सहित दे, व जो प्रश्न उत्तर विभागों के सम्बन्धित हो उनमें उत्तर सम्बन्धित विभागों से R.T.I एक्ट की धारा 6 (3) के तहत दिलाए/गोई सम्भव हो सभी सभी उत्तर हिन्दी में ही दे सभी उत्तरों के साथ प्रश्न भी लिखे कि जिस सरकार द्वारा भारत देश को कब स्वतन्त्रता प्रदान की गई कि जिस सरकार की ओर से कब किस अधिकारी ने हस्ताक्षर किये उन सभी पेपर्स की प्रतिलिपियां दे।

हिन्दुस्तान का बंटवारा कब कितने कामाजालों द्वारा किया गया पकिस्तान का कब बनाया गया कि जिस सरकार भारत सरकार पकिस्तान की ओर से बंटवारे में कौन-2 सरीस हूये व उन्हें कब-2 कितने-2 कामाजालों पर बंटवारे के तहत हस्ताक्षर किये उन सभी पेपर्स की प्रतिलिपियां दे।

हिन्दुस्तान बंटवारे में भारत से कितने मुसलमान पकिस्तान गये व पकिस्तान से कितने लोग परिवार भारत आये यदि पुरी-2 गिनती सरफा सम्भव न हो तो लगभग आंशों दे व कितने मुसलमान लोग परिवार पकिस्तान से जाने के बाद वापिस आ गये जैसा हरिद्वार के मेवात आजादी के बाद देश बंटवारे के बाद पकिस्तान से आये सभी शरणार्थियों को भारत देश में कहां-2 किस तरह से बसाया गया इन सभी को जमीनें घर किस-2 राज्यों में कहां-2 से से दी गयी जैसे अनुदान में कृपा में कितनी थी जो की दी सभी उद्देश्य दे।

देश बंटवारे के समय कब-2 कितने आदमी को परिवारों की हजारे की गई पुरी सख्या हो तो दे या आंशों अनुसार जानकारी प्रां दे

दिल्ली में पकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए कब-2 कितनी कहां-2 जमीनें ख़ासत कर कितनी कालोनियां कहां-2 बसाई गई व कहां-2 कितने फालेट बना-2 कर इन्हे किस-2 रेट में दिये गये

इनके रोजगार के लिए क्या-2 योजनाएं बनाई गई व कब-2 कितने-2 जगह से इन्हे कितना-2 अनुदान दिया गया व इन्हे दी गई जमीनों फालेटों की कितनी-2 छुट दी गई तबनी करियां में इनके लिए जो विशेष सुविधा पूर्वधान किये गये उनकी भी जानकारी दे

इनकी सुविधा के लिए किराया कानून किससे इन्हे निकाला ना जा सके जिस मालिक मकान के यहां भे रहे रहे हैं कब कैसे व कितने दिनों के लिए बनाया गया

वर्तमान समय में लगभग कितने ऐसे किरायेदार हैं व कितने ऐसे किरायेदारों व माकान मालिकों के मुकदमों न्यायलयों में लम्बित पड़े हैं। पूर्ण जोरा पूर्ण तथ्यों सहित पकिस्तान के साथ कब-2 कितने मुद्द (लडाईयां) भारत के साथ किस खात को लेकर लड़ी गई व उनमें दौनों ओर से कितने आदमी मारे गये व उन पर कितना धन दौनों ओर से व भारत की ओर से आ हुआ पुरा जोरा ना होता लगभग आंशों दे।

पंजाब (भारत) में उग्रवाद कब से कब तक रहा व उग्रवाद दौर में कितने सिविल किस-2 राज्यों के लोग व कितने सरकारी मौज निपाई आई कुल कितने मारे गये।

पंजाब में उग्रवाद दौर में पंजाब पर कुल कितना भारत सरकार का धन खर्च हुआ उस

1) जम्मू काश्मीर में जब तक लिखित व मौखिक निर्धार आदि नहीं कुल
 आदमी मारे गये
 1) जम्मू काश्मीर में भारत सरकार की ओर से कुल कितना पतन विनाश करण में आया
 किता जा - पूजा है
 1) चीन गुरु के साथ भारत के कुल कितने आदमी पोलो मारे गये इस गुरु में कितना
 युवाग लगभग भारत सरकार को हुआ

2) पंजाब, जम्मू काश्मीर, अरुणाचल, व पूर्वोत्तर राज्यों से क जम्मू काश्मीर से
 भारत में विशेषतः दिल्ली में आगे इन विस्थापितों के लिए कल-2 कहां
 -2 कितना धन अनुदान आदि में कैसे व्यय किया गया
 6) दिल्ली में उपरोक्त प्रवाह के विस्थापितों के लिए कितनी कालोनीया संस्थाएं
 बसाई दी गई व कैसे दी गई पूर्ण पूर्ण कोरा पूर्ण लक्ष्यो साहित्य है।
 1) पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में कल-2 कितने लोग कल-2 वर्तमान समय जम्मू काश्मीर भारत आगे
 उन्हें कौन सा दर्जा अधिकार दिए गये पूर्ण कोरा है वे लोग कहां -2 रह रहे हैं व
 उन्हें वापिस भेजने के लिए कल-2 क्या -2 कार्यवाहियां की गई।

W Singh
 नाम- मुसलीमर सिंह सुफी
 पता- WZ-168 बरवामपुर
 वेस्ट पटेल नगर
 नई दिल्ली 110008
 Ph-9654247745

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 21 नवम्बर, 2013

सेवा में,

श्री मुख्तियार सिंह सूफी,
डब्ल्यू जैड -168, खानपुर,
वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया बिन्दु सं. 9,10,11 तथा 14 के संबंध में सूचना के लिए मुझे प्राप्त इस मंत्रालय के एफ एफ आर प्रभाग द्वारा पत्र सं. 36/40/2011-आर एंड एस ओ द्वारा अद्योपित आपके दिनांक 22.3.2013 के पत्र का संदर्भ लें।


2. बिन्दु सं. 9 तथा 14 के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आपके आवेदन की एक प्रति रक्षा मंत्रालय को भिजवाई जा रही है।


3. बिन्दु सं. 10 तथा 11 के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आपके आवेदन की एक प्रति इस मंत्रालय के निदेशक (आई एस-111) को भिजवाई जा रही है।

4. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर उस प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर कर सकते हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

श्री राकेश सिंह
संयुक्त सचिव (आई एस-1)
गृह मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

अनुलग्नक : यथोपरि




(राकेश मिश्रा)
निदेशक (आई एस-1) तथा
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. रक्षा मंत्रालय, आर टी आई सेंल, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को आवेदक को बिन्दु सं. 9 तथा 14 से संबंधित उत्तर देने के लिए। आवेदन की एक प्रति संलग्न है।
2. निदेशक/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (आई एस-111) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदक को बिन्दु सं. 10 तथा 11 से संबंधित उत्तर देने के लिए। आवेदन की एक प्रति संलग्न है।
3. निदेशक/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय (एफ एफ आर प्रभाग) एन डी सी सी-11 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को दिनांक 10.05.2013 के पत्र सं. 36/04/2011-आर एंड एस ओ के संदर्भ में।
4. श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आर टी आई) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

Pl. Issue

R&I 26/11/13
Dated.....